न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 19/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड़ (वर्तमान में तहसीलदार, देलदर)

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) इन्द्रा पुत्री वीरा जी, जाति–भील, निवासी–बोरीबुज, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(2) कमरुराम पुत्र वीरा जी, जाति–भील, निवासी– बोरीबुज, तह. देलदर,जिला–सिरोही
(3) बसु पत्नि वीरा जी, जाति– भील, निवासी– बोरीबुज, तहसील–देलदर, जिला–सिरोही
(4) लुकाराम पुत्र वीरा जी, जाति–भील, निवासी–बोरीबुज, तह. देलदर, जिला– सिरोही
(5) केली पत्नी श्री गुलाराम, जाति–भील, निवासी–बोरीबुज, तह. देलदर, जिला–सिरोही
(6) गणिया पुत्र मोडा जी, जाति–भील, निवासी– बोरीबुज, तह. देलदर, जिला–सिरोही
(7) निर्मल पुत्र श्री गुलाराम, जाति–भील, निवासी–बोरीबुज, तह. देलदर, जिला–सिरोही, (अप्रार्थी संख्या 7 (सात) निर्मल की नाबालिग मृत्यु होने से नाम विलोपित किया गया)

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा, अप्रार्थीगण की ओर से

–: **निर्णय** :– दिनांक 17 फरवरी, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध वर्तमान खतौनी जमाबंदी में अंकित निम्न कृषि भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है को राजस्व रेकर्ड में राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज कराने एवं विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है:–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर में	किस्म भूमि
ग्राम बोरीबुज, पटवार हल्का दोयतरा, तहसील–देलदर	2076–2079	123	879	0–2529	दीगर पीवल
			880	0–0379	दीगर पीवल

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 की पालना में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रतिबंधित है। उक्त भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त प्रश्नगत भूमि मिसल बंदोबस्त में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि दर्ज थी जिसका विधि विरुद्ध Conversion हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में यह आदेश पारित किया गया है कि "All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal." अतः प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को रेफर किया जावे।

(2) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा व श्री उमाराम देवासी ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 7 (सात) निर्मल पुत्र श्री गुलाराम, जाति– भील, निवासी– बोरीबुज, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही को जारी नोटिस उसकी मृत्यु की सूचना के साथ अदम तामिल प्राप्त होने के बाद तहसीलदार, देवदर ने पत्र क्रमांकःराजस्व/2025/634 दिनांक 10–10–2025 से आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत मृतक अप्रार्थी निर्मल पुत्र श्री गुलाराम, जाति– भील, निवासी– बोरीबुज के कायम मुकाम की सूचना मौका फर्द दिनांक 09–10–2025 प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 7 (सात) निर्मल पुत्र श्री गुलाराम की नाबालिग मृत्यु हो चुकी है एवं इसकी माता ने अन्य इनकी आदिवासी परम्परा के अनुसार दूसरी शादी कर ली है तथा निर्मल पुत्र गुलाराम के जाईन्दा विधिक वारिसान ग्राम बोरीबुज में नही है। प्रकरण में तहसीलदार, देलदर के उक्त पत्र क्रमांकः 634 दिनांक 10–10–2025 से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 09–10–2025 के अनुसार, अप्रार्थी संख्या 7 (सात) निर्मल पुत्र श्री गुलाराम, जाति– भील, निवासी– बोरीबुज, तह. देलदर, जिला– सिरोही का नाम इस प्रकरण से हटाये जाने (विलोपित करने) के आदेश दिनांक 07–01–2026 को पारित होने से अप्रार्थी संख्या 7 (सात) निर्मल पुत्र श्री गुलाराम, जाति– भील, निवासी– बोरीबुज का नाम इस प्रकरण से विलोपित किया गया।

(3) बहस सुनी गई। विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि है जिसका आवंटन/नियमन तथा किसी भी रुप में संपरिवर्तन किया जा सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, नदी, नाला, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। प्रश्नगत भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी **महकमा बंदोबस्त संवत 2004** में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि दर्ज थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 के द्वारा जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की राजस्व रेकर्ड में दिनांक 15–8–1947 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिवलि रिट याचिका संख्याः 11153/2011 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29–5–2012 में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का किया गया आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध माना है एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः प्रश्नगत भूमि का किया गया आवंटन/नियमन निरस्त करवाने एवं प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस व विधिक दृष्टान्त 2005(2)DNJ(Raj.) 843 Somoti devi vs state of Raj. & others, 2019(1)DNJ(Raj.) 265 state of Raj. Thro Tehsildar, Jaipur vs Gulab Balai & others प्रस्तुत किये। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी तहसीलदार ने अदालत में धारा 82 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत कर यह बताया कि ग्राम बोरीबुज, तहसील– आबुरोड के खसरा संख्या 879 व 880 रकबा कमशः 1–00 व 0–03 बीघा किस्म दीगर पीवल संवत 2029 तक दर्ज है एवं उक्त भूमि 2004 तक मे नाला दर्ज है। वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी दर्ज है एवं उक्त भूमि संवत् 2029 से ही अप्रार्थीगण खातेदार के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है तथा यह भी बताया है कि उक्त

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भूमि जलग्रहण क्षेत्र की है जिसे किस्म नाला करवाकर राजस्थान सरकार के नाम करवाने की कार्यवाही करावें। प्रार्थी तहसीलदार, आबूरोड ने अप्रार्थीगण जो भील जाती के आदिवासी है। जिन्हें किसी को 0–09 बीघा किसी को 0–03 बीघा भूमि वक्त सेटलमेन्ट से करीब 50 वर्ष पूर्व खातेदारी अधिकार देने पर वे अपने स्वयं के भरण पोषण के लिए चना, मक्की ईत्यादी की फसल प्राप्त कर अपने स्वयं व परिवार का भरण पोषण करते है। 50 वर्ष से पूर्व इस भूमि पर अप्रार्थीगण व उसके पूर्वज खेती करते आए है। यह स्वयं प्रार्थी स्वीकार करते है। प्रार्थी तहसीलदार ने रेफरेंस में संवत् 2004 मे यानी आज से करीब 78 वर्ष पूर्व नाला होना बताया है एवं इसके पश्चात् उक्त भूमि समतल हो जाने के कारण राजस्थान सरकार के नाम दीगर पीवल दर्ज हो गई थी, क्योकि मौके पर कोई नाला था ही नहीं। इसी कारण संवत 2029 (50 वर्ष पुर्व) अप्रार्थीगण काबिज होने के कारण सेटलमेंट के समय खातेदारी अधिकार दे दिये गए थे एवं तभी से वे बतौर खातेदार काबिज काश्त है। प्रार्थी तहसीलदार ने रेफरेंस में यह दाद चाही है कि उक्त भूमि किं किस्म नाला दर्ज करवाई जायें। अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार मिलने पर वे खातेदार कृषक है एवं खातेदार कृषक को रेकर्ड से व मौके से रेफरेंस के जरिये नहीं हटाया जा सकता है एवं न ही उनके खातेदारी अधिकार को निरस्त ही किया जा सकता हैं। खातेदारी अधिकार को निरस्त करने के लिए अलग से कानून व प्रक्रिया अपनाई जाकर ही कोई कार्यवाही की जा सकती है न कि रेफरेंस से। रेफरेंस स्वीकार करने पर अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेंगा। आज से 76 वर्ष पूर्व भूमि की किस्म नाला की जगह कृषि योग्य होने से किस्म दीगर पीवल की गई थी, जो 76 वर्ष यानी संवत् 2004 में कर दी गई थी। इस किस्म को बदलने के लिये अत्यधिक देरी हुई है और 76 वर्ष की देरी से भूमि की किस्म नही बदली जा सकती है। ऐसा निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने भी निर्णित किया है, जिसमें 35 वर्ष देरी से रेफरेन्स प्रस्तुत किया था जिसे अति विलम्ब मानकर रेफरेंस को निरस्त किया था, विधिक दृष्टान्त 2005(2)DNJ(Raj.) 843 Somoti devi vs state of Raj. & others. इसी प्रकार राजस्व बोर्ड ने भी 44 वर्ष पश्चात् रेफरेंस को अति विलम्ब मानकर किया, क्योंकि जिन्हें जमीन आवंटन हो गई थी वे व उनके वारिसदार लगातार काबिज होने से रेफरेन्स खारिज किया है, विधिक दृष्टान्त 2019(1)DNJ(Raj.) 265 state of Raj. Thro Tehsildar, Jaipur vs Gulab Balai & others. प्रार्थी तहसीलदार द्वारा इस मामलें में भी 50 वर्ष पूर्व संवत् 2029 में खातेदारी अधिकार अप्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण आदिवासी मजदूरी पेशा के व्यक्ति है। जिनका व उनके बच्चो का भरण पोषण सरकार द्वारा आज से 50 वर्ष पूर्व दी भूमि से ही होता है। यदि किस्म बदल दी गई तो उन्हे बहु विवाद व लिटिगेसन में उलझना पड़ेगा। रेफरेंस में प्रार्थी ने यह कही भी दर्ज नहीं किया है एवं न ही नाला होना बताया है। आज से करीब 76 वर्ष पूर्व नाला होना मानकर रेफरेंस प्रस्तुत किया है, जो गलत किया है। अतः प्रार्थी का रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 की पालना में वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित निम्न कृषि भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है:–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर में	किस्म भूमि
ग्राम बोरीबुज, पटवार हल्का दोयतरा तहसील–देलदर	2076–2079	123	879	0–2529	दीगर पीवल
			880	0–0379	दीगर पीवल

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संबंधित राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अवलोकन यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त संवत 2004 में प्रश्नगत भूमि की किस्म नाला दर्ज थी, जो भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी. बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 2–8–2004 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि **"All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevent act & rules must be amended accordingly. In the Government Owend Lakes and other water bodies, the khatedari right of private person in there submergence area should be brought under the ownership of the government.** माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29–5–2012 में भी जलग्रहण/जलबहावक्षेत्र की भूमि की पुर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रेकर्ड में जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब, नाडी, नदी, नाला आदि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन एवं नियमन नही हो सकता है तथा ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही, उभय पक्षकारान को यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन होगा कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक प्रश्नगत भूमि के भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही होने दे एवं न ही करे।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित स्थिति ग्राम दोयतरा, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही के खाता संख्या 123 खसरा संख्या 879 रकबा 0–2529 हेक्टेयर किस्म दीगर पीवल व खसरा संख्या 880 रकबा 0–0379 किस्म दीगर पीवल के स्थान पर भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज अप्रार्थीगण की प्रविष्ठियां विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त संवत 2004 के अनुरुप राजकीय बिलानाम किस्म नाला दर्ज करवाने हेतु अभिशंषा सहित प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली निर्णय की अतिरिक्त प्रमाणित प्रति सहित प्रेषित की जावे। उभय पक्षकारान प्रश्नगत आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे तथा न ही रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि करे। साथ ही, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार, देलदर को प्रश्नगत आराजी वर्तमान भू अभिलेख में रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि नही करने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आगामी आदेश तक नोट अंकित करने हेतु प्रेषित की जावे।

पक्षकारान वास्ते सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में आयन्दा दिनांक 30–4–2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 17 फरवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)